



रामपुर पुलिस



एनडीपीएस एक्ट के मामले में अभियुक्त को 02 वर्ष 01 माह 05 दिन के कारावास व 10000 रुपये के अर्थदण्ड से किया गया दण्डित-

पुलिस एवं अभियोजन के सतत प्रयास के परिणाम स्वरूप दिनांक 23.11.2023 को मा0 ए0डी0जे0-04 रामपुर द्वारा थाना टाण्डा, रामपुर पर पंजीकृत मु0अ0सं0-130/2020, धारा- 8/20 एनडीपीएस एक्ट में दोषसिद्ध आरोपी सद्दाम पुत्र अफसर अली निवासी खिजरपुर थाना अजीमनगर जनपद रामपुर को दोषी पाते हुए 02 वर्ष 01 माह 05 दिन का साधारण कारावास एवं 10000 रुपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया।